उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांक: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/13837-14275 दिनांक: 26, जून, 2009

सेवा में,

उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध समस्त संस्थाओं के प्राचार्य/निदेशक ।

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र की इंजी0 संस्थाओं में प्रवेश पर कैपिटेशन अथवा डोनेशन या मनमानी शुल्क आदि लिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक रिट पिटीशन सं0 317/1993 टी0एम0ए0पाई0 फाउन्डेशन एवं अन्य-बनाम स्टेट आफ कर्नाटक एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिनांक 31.10.02 को पारित निर्णय में शिक्षा का उद्देश्य चैरिटेबल मानते हुए यह व्यवस्था/निर्देश दिये है कि किसी भी शिक्षण संस्था में आर्थिक लाभ कमाने की मंशा निहित नही होनी चाहिये और कोई भी शिक्षण संस्था कैपिटेशन फीस किसी भी छात्र से नही ले सकती है।

उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि संस्था में प्रवेश पाने के लिये कोई कैपिटेशन अथवा दान आदि प्रभारित करने पर पूर्ण रूप से रोक के संबंध में उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा-27 में भी निम्नवत प्राविधान है।

27. "किसी विद्यालय के प्रबंधतंत्र से संबंधित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे विद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात पूर्ववत रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से या उसकी ओर से विनियमों में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।"

Bar of Charging any donation etc. for admission to a college

27. "No person connected with the Management of a college and no principal or other teacher or employee there of shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates laid down in the Regulations from or on behalf of any pupil as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college."

इस विषय में पूर्व में भी विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2003/3521-3658, दिनांक 26.6.03, पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2003/4090-4231, दिनांक 3.7.03 तथा पत्र सं0 3-7/वी0सी0ओ0/यू0पी0टी0यू0/2006/3403, दिनांक 26.6.06 द्वारा समस्त संस्थाओं को तदनुसार निर्देश प्रेषित किये गये है। साथ ही शासन से भी प्रदेश के समस्त निजी इंजी0 कालेजों में कैपिटेशन फीस न लेने के संबंध में शासनादेश सं0 2520/16-1-03/13(20)/03, दिनांक 11 जुलाई, 2003 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये गये है।

सूचित है कि प्राविधिक विश्वविद्यालय में इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है कि कतिपय संस्थाएं छात्रों को प्रवेश देने हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि की वसूली करती है जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/निर्देशों की अवहेलना है। यह प्रकरण प्राविधिक विश्वविद्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 को सम्पन्न हुई प्रशासनिक समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा इस संबंध में निम्नवत निर्णय लिया गया :-

''विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक किसी प्रकार की धनराशि डोनेशन अथवा कैपिटेशन आदि किसी भी रूप में छात्रों से वसूल नही की जाएगी एवं न करने दी जाएगी। इस आशय की समुचित व्यवस्था संस्था स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी और प्रत्येक संस्था में विभिन्न स्थलो/नोटिस बोर्ड्स पर छात्रों को इस आशय की सूचना दी जाएगी यदि उन्हें इस विषय में कोई शिकायत हो तो वे संस्था के नामित पदाधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगे और इसकी सूचना वे विश्वविद्यालय को भी दे सकेगे। छात्रो के स्तर से यदि इस प्रकार की कोई शिकायत की जाती है तो उस पर प्रभावी ढंग से समुचित कार्यवाही की जाएगी''।

उक्त के अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के विज्ञापन सं0 डी0पी0जी0/06(02)/2009 जिसमें शुल्क प्रभारित करने, शुल्क की वापसी तथा विद्यार्थियों से जुड़े अन्य मुद्दों के संबंध में जो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुई हे, की छायाप्रति भी संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार छात्रों के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

उपर्युक्त स्थिति वर्णन के साथ अपेक्षा है कि संदर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय, विश्वविद्यालय एवं शासन स्तर से दिये गये निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधानित स्थिति के अनुसार संस्था स्तर पर आवश्यक व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायें ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक–उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय, राजभवन, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
3. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
5. स्टाफ आफिसर, मा0 कुलपति महोदय ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

सातवीं तल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001

फोन: 011-23724151-57, वेबसाइट: www.aicte.ernet.in

विज्ञापन सं. : डीपीजी/08(02)/2009

सार्वजनिक सूचना

शुल्क प्रभारित करने, शुल्क की वापसी तथा विद्यार्थियों से जुड़े अन्य मुद्दों के संबंध में अभातशिप द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों का ध्यानाकर्षण।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) को अभातशिप अधिनियम की धारा 10(एन) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ--साथ यह शक्ति प्राप्त है कि वह "तकनीकी शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए"। अभातशिप अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अनुपालन तथा भारत सरकार द्वारा अभातशिप अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत पत्र संख्या (यू.1(ए) अनुभाग) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि अभातशिप द्वारा अनुमोदित संस्थानों को विद्यार्थियों से संबंधित मामलों में अनुदेश जारी किए जाएं।

यद्यपि अभातशिप को यह ज्ञात हुआ है कि तकनीकी संस्थान शैक्षिक सत्र के वास्तव में प्रारंभ होने से बहुत पहले ही तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों मे विद्यार्थियों का प्रवेश प्रारंभ कर लेते हैं, प्रविष्ट विद्यार्थियों से पूरा शुल्क एकत्र कर लेते हैं तथा उनके विद्यालय/संस्थान छोड़ने के मूल प्रमाणपत्रों को रख लेते हैं;

और संस्थान को दिया गया शुल्क भी जब्त कर लेते है, यदि कोई विद्यार्थी निश्चित तिथि तक आने में असमर्थ हो;

यथापि संस्थानों द्वारा मूल प्रमाणपत्र रख लिये जाते हैं ताकि विद्यार्थी प्रवेश जारी रखने के लिए मजबूर हो जाएं, तथा यद्यपि कुछ मामलों में अनावश्यक रूप से किसी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में प्रवेश के लिए समय सीमा को बहुत पहले निर्धारित कर दिया जाता है ताकि विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार संस्थान को चुनने के विकल्प को अपना न सकें।

पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश छोड़ देता है तो उस मामले में प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी को खाली सीट की जगह प्रवेश दिया जाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी/अभ्यर्थी जो कार्यक्रम छोड़ना चाहते हों उन्हे संस्थानों द्वारा अधिकतम रू. 1000/— (रुपये एक हजार मात्र) का प्रक्रमण शुल्क काट कर संपूर्ण एकत्रित शुल्क की राशि वापिस लौटाई जाए। संस्थानों को यह अनुमति नहीं है कि वे विद्यार्थी के विद्यालय/संस्थान छोड़ना का मूल प्रमाण पत्र रोककर रखें। यदि कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के बाद छोड़ देता है और उसके परिणामस्वरूप सीट खाली होती है तथा प्रवेश की अंतिम तिथि तक खाली सीट किसी अन्य अभ्यर्थी से भर ली जाती है तो संस्थान एकत्रित शुल्क से आनुपातिक आधार पर मासिक शुल्क तथा आनुपातिक होस्टल किराया, जहाँ लागू हो, की कटौती करके शेष राशि वापिस लौटाएगा।

अभातशिप द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें गलती करने वाले संस्थान के अनुमोदन तथा मान्यता की वापसी सम्मिलित होगी। अभातशिप स्वयं अथवा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शिकायत विशेष पर ऐसे सभी कदम उठा सकता है, जो इन निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक हों।

इस सबंध में खिन्न अभिभावकों /विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उप निदेशक (लोक शिकायत) अभातशिप से शिकायत / संपर्क करें।.

सदस्य सचिव